भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. \*73

जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 फरवरी, 2019 को दिया जाना है

**सरकार के विरुद्ध अवमानना के मामले**

**\*73 डा.के.वी.पी.रामचन्द्र राव :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में सरकार के विरुद्ध अवमानना के मामले दायर करने में सतत वृद्धि हो रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) विगत चार वर्ष़ों के दौरान सरकार के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर किए गए अवमानना के मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों का विश्लेषण किया है और क्या न्यायालय के आदेशों को निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू करने के संबंध में कोई विशिष्ट निर्देश मौजूद हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)**

**(क) से (ग) :** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

**राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. \*73, जिसका उत्तर 8 फरवरी, 2019 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के सम्बन्ध में निर्दिष्ट विवरण**

**(क) से (ग) :** अवमानना मामलों के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । माननीय न्यायालयों के आदेशों का कार्यान्वयन सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है । यदि ऐसे आदेशों में ऐसे निदेश अन्तर्विष्ट हैं जिनमें भारत की संचित निधि से व्यय अपेक्षित है, तो सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग इस पर विचार करने के लिए व्यय विभाग को अपने प्रस्ताव भेजते हैं । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने का.ज्ञा. सं. 49014/2/2016-स्था.सी-भाग, तारीख 04.07.2016 द्वारा यह कथन किया है कि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का मुख्यतया यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि न्यायालय मामले के प्रत्येक प्रक्रम पर कार्रवाई समय पर की जाती है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*